भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 184

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

इबोला वायरस का प्रकोप

***184. श्री बैन्नी बेहननः**
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किए जाने के बाद सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) मई और जुलाई, 2026 के बीच भारत के विमानपत्तनों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विमानपत्तन-वार कितने व्यक्तियों की जांच की गई;
(ग) देश में इबोला वायरस रोग के किसी संदिग्ध या पुष्ट मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती और तैयारी के उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने इबोला के प्रकोप से प्रभावित देशों से भारत में आने वाले यात्रियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *184 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी ऑफ इंटरनेशनल कन्सर्न (पीएचईआईसी) और अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (अफ्रीका सीडीसी) द्वारा पब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी ऑफ कंटीनेंटल सिक्योरिटी (पीएचईसीएस) के रूप में बुंडिबुग्यों इबोला रोग के प्रकोप की घोषणा के बाद सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की अस्थायी सिफारिशों के अनुसरण में पूरे देश में निगरानी और जन स्वास्थ्य संबंधी तैयारी को सुदृढ़ किया है।

ये उपाय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा अन्य प्रवेश स्थलों पर उन्नत स्क्रीनिंग एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, निगरानी, स्क्रीनिंग, संगरोध (क्वारंटीन), नैदानिक प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण, संक्रमण की रोकथाम संबंधी प्रथाओं तथा मामलों की रिपोर्टिंग से संबंधित एडवाइजरी एवं मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई हैं, ताकि समन्वित तैयारी एवं प्रभावी रिस्पॉन्स सुनिश्चित हो सके। आज की तारीख तक देश में इबोला रोग का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। सरकार द्वारा किए गए एहतियाती एवं तैयारी संबंधी उपायों का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, इबोला रोग के संबंध में सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य तैयारी एवं अनुक्रिया हेतु जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की प्रवेश स्थलों पर इस बात की जांच की जाती है कि क्या उन्होंने आगमन से पूर्ववर्ती 21 दिनों के दौरान इबोला प्रभावित देशों, अर्थात् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), युगांडा तथा दक्षिण सूडान की यात्रा तो नहीं की है।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा प्रपत्रों, जिनमें एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत प्रपत्र भी सम्मिलित हैं, के अनुसार 23 मई से 28 जुलाई, 2026 तक उपर्युक्त देशों से आने वाले कुल 10,974 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। इबोला वायरस के लिए स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा विमानपत्तन-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-2** एवं **अनुलग्नक-3** में दिया गया है।

अनुलग्नक-1

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा बुंडिबुग्यो इबोला रोग के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी ऑफ इंटरनेशनल कन्सर्न (पीएचईआईसी) घोषित किए जाने के उपरांत सरकार द्वारा किए गए उपाय

- निगरानी, रिपोर्टिंग, संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण, व्यैक्तिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के लिए तकनीकी विनिर्देशों, प्रयोगशाला निदान, नमूनों के परिवहन, संगरोध (क्वारंटीन), आइसोलेशन तथा रोगियों की छुट्टी (डिस्चार्ज) से संबंधित विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) एवं परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निर्दिष्ट आइसोलेशन सुविधा केंद्रों की पहचान कर उन्हें परिचालन हेतु तैयार किया गया।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईवी), पुणे तथा देशभर में अतिरिक्त निर्दिष्ट जैव सुरक्षा स्तर-3 (बायोसेफ्टी लेवल-3) प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोगशाला निदान क्षमता का विस्तार किया गया।
- प्रवेश स्थलों सहित पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) तथा अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्दिष्ट अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
- एपीएचओ, आप्रवासन ब्यूरो के अधिकारियों, सभी राज्यों में राज्य निगरानी इकाइयों तथा निर्दिष्ट आइसोलेशन अस्पतालों का क्षमता-संवर्धन किया गया।
- सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त मानव संसाधनों (डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल कर्मियों) की तैनाती की गई।
- एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के माध्यम से आने वाले यात्रियों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र (एसडीएफ) प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं लक्षण-आधारित स्क्रीनिंग बढ़ाई गई।
- हवाई अड्डों पर प्रदर्शित संदेशों, सोशल मीडिया, जन-जागरूकता वीडियो, उड़ान के दौरान की जाने वाली घोषणाओं तथा 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन (1075) के माध्यम से जोखिम संचार को सुदृढ़ किया गया।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के जन स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (पीएचईओसी) को सक्रिय किया गया।
- तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एपीएचओ कार्यालयों तथा निर्दिष्ट आइसोलेशन अस्पतालों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

अनुलग्नक-2

इबोला प्रभावित देशों से आने वाले अथवा उन देशों से होकर पारगमन (ट्रांजिट) करने वाले व्यक्तियों की विभिन्न हवाई अड्डों पर एहतियाती उपाय के रूप में की गई स्क्रीनिंग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**यात्रियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2	आंध्र प्रदेश	361
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	27
5	बिहार	332
6	चंडीगढ़	7
7	छत्तीसगढ़	33
8	दिल्ली	433
9	गोवा	32
10	गुजरात	2905
11	हरियाणा	225
12	हिमाचल प्रदेश	29
13	जम्मू और कश्मीर	30
14	झारखंड	42
15	कर्नाटक	334
16	केरल	554
17	लद्दाख	1
18	लक्षद्वीप	1

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**यात्रियों की संख्या**
19	मध्य प्रदेश	110
20	महाराष्ट्र	2228
21	मणिपुर	5
22	मेघालय	1
23	मिजोरम	0
24	नागालैंड	1
25	ओडिशा	126
26	पुडुचेरी	18
27	पंजाब	268
28	राजस्थान	451
29	सिक्किम	2
30	तमिलनाडु	731
31	तेलंगाना	624
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	785
35	उत्तराखंड	100
36	पश्चिम बंगाल	163

अनुलग्नक-3

इबोला प्रभावित देशों से आने वाले अथवा उन देशों से होकर पारगमन (ट्रांजिट) करने वाले व्यक्तियों की एहतियाती उपाय के रूप में विभिन्न हवाई अड्डों पर की गई स्क्रीनिंग का विमानपत्तन शहर-वार विवरण

क्र.सं.	**विमानपत्तन शहर**	कुल यात्री
1	अहमदाबाद	200
2	अमृतसर	7
3	बेंगलुरु	205
4	कालीकट	49
5	चेन्नई	210
6	कोच्चि	185
7	कोयंबटूर	29
8	दिल्ली	1833
9	हैदराबाद	532
10	जयपुर	10
11	कन्नूर	1
12	कोलकाता	35
13	लखनऊ	18
14	मंगलुरु	2
15	मोपा (गोवा)	5
16	मुंबई	7568
17	नागपुर	4
18	सूरत	1
19	तिरुवनंतपुरम	80
